

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला-नागौर

फर्द अहकाम  
(नियम - 26)

वादी/वादीगण

प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

.....  
किस्म प्रकरण - राजस्व वाद

बनाम

.....  
मुकदमा सं. 18/20

| तारीख आदेश | हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामिल में जारी हुये |
|------------|---|---|
| 25-2-20    | <p>यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 51, 52 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री H.R. मण्डल ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पक्षकारों के समन् जरिये रजिस्टर ए.डी. के भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 24.2.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p> |   |
| 24/3/20    | <p>.....<br/>कोर्ट में लॉड 24/3/20</p>  |   |
| 31-5-20    | <p>.....<br/>कोर्ट में लॉड 31/5/20</p>  |   |
| 6/8/20     | <p>वकील वादी उपर प्रतिवादीगण के समन् तलब का वकील वादी सिद्ध पैल जे. कापली वास्तु तलबी सिंगे, 6/8/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(Signature)</p>  | <p>एस.डी.ओ.<br/>नागौर</p>                             |

6/8/20: पत्रावली जेश हुई। वकील वादी उपस्थित। शवाजे लगावार्ड गरी परन्तु कोर्ट परतार एवं वकील वादी उपस्थित नही काभा अतः सूचना राजा कर्म पेरणी व कर्म हाजरी में जारी किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कर्म होकर तामिल करार हो।

(Signature)  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
जायल जिला-नागौर